



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271231  
CG-DL-E-24032026-271231

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

(मामला संख्या: -एडी(ओआई)-14/2026)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ एज़ेपाइन इंटरमीडिएट्स, अर्थात् आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी और उनके प्रिकर्सर, आईडीबी" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा.सं. 6/15/2026-डीजीटीआर.- समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ एज़ेपाइन मध्यवर्ती, अर्थात् आईएसबीसीसी और 10एमआईएसबी और उनके प्रिकर्सर, आईडीबी" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" कहा

गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से भारत में पाटित कीमतों पर संबद्ध सामान आयात किए जा रहे हैं और वे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं। आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात पर अंतरिम शुल्क की भी मांग की है।

### क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कुछ एज़ेपाइन इंटरमीडिएट्स, अर्थात् आईएसबीसीसी (इमिनोस्टिलबीन कार्बोनिल क्लोराइड) और 10 एमआईएसबी (10-मेथॉक्सीमिनोस्टिलबीन), और उनके प्रिकर्सर, आईडीबी (इमिनोडिबेन्ज़िल)" हैं। संबद्ध सामान रासायनिक यौगिक हैं जिनमें सामान्य एज़ेपाइन रिंग प्रणाली होती है और एपीआई के संश्लेषण में उपयोग की जाती हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीएस संख्या के अनुरूप हैं:

क) सीएस संख्या: 494-19-9 जिसे आईडीबी/इमिनोडिबेन्ज़िल (10,11-डाइहाइड्रो-5एच-डिबेंज़ [बी,एफ]एज़ेपाइन) के रूप में भी जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र सी14एच13एन है

ख) सीएस संख्या: 33948-22-0 जिसे आईएसबीसीसी/इमिनोस्टिलबीन कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र सी15एच10सीआईएनओ है

ग) सीएस संख्या: 4698-11-7 जिसे 10-एमआईएसबी (10-मेथॉक्सीइमिनोस्टिलबीन) के रूप में भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र सी15एच13एनओ है

5. आवेदक ने अनुरोध किया है कि एज़ेपाइन इंटरमीडिएट्स अर्थात् आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी, और उनके प्रिकर्सर आईडीबी एक उत्पाद हैं। यह देखा जाता है कि आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी को केवल आईडीबी में प्रसंस्करण से प्राप्त किया जा सकता है। परिणामों को संसाधित करने से आईएसबीसीसी में परिणाम आते हैं। आगे संसाधित होने पर आईएसबीसीसी के परिणामस्वरूप 10 एमआईएसबी का उत्पादन होता है। विचाराधीन उत्पाद में सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले विशेषता रासायनिक मध्यवर्ती शामिल हैं, विशेष रूप से जिनका उपयोग एंटीकॉन्वल्सेंट और एंटीसाइकोटिक दवाओं के लिए किया जाता है। जबकि आईडीबी का कुछ स्वतंत्र उपयोग है, यह आईडीबी की कुल खपत के 5% से भी कम है। आईडीबी, आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी सामान्य अनुप्रवाह चिकित्सीय उद्देश्यों की सेवा करते हैं। उनमें एक सामान्य संरचनात्मक रूपांकन है और केवल परिभाषित स्थानों पर पेश किए गए विशिष्ट कार्यात्मक समूहों में भिन्नता है, जो एक एकीकृत सिंथेटिक मार्ग में उनके चरणबद्ध रासायनिक रूपांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। आईडीबी, आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी डिबेंज़ाज़ेपाइन रिंग सिस्टम पर आधारित है - एक ट्राइसाइक्लिक संरचना जिसमें दो बेंजीन रिंग सात सदस्यीय एज़ेपाइन रिंग से जुड़े होते हैं जिसमें एक नाइट्रोजन परमाणु होता है। उनके उत्पादन श्रृंखला में प्रत्येक चरण में डिबेंज़ाज़ेपाइन रिंग ढांचे को बदले बिना कार्यात्मक समूह परिवर्तन शामिल है।

6. सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) बनाने के लिए मध्यवर्ती के रूप में संबद्ध सामानों का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से एंटीकॉन्वल्सेंट और एंटीसाइकोटिक दवाओं के लिए। संबद्ध सामानों की विशिष्ट भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

क) आईडीबी आईएसबीसीसी और 10-एमआईएसबी का प्रिकर्सर है। इसका सबसे प्रमुख अनुप्रयोग कार्बामाज़ेपाइन और ऑक्सीकार्बामाज़ेपाइन के संश्लेषण में एक मध्यवर्ती के रूप में है।

ख) आईएसबीसीसी आईडीबी का एक प्रत्यक्ष निचले स्तर का व्युत्पन्न है और कार्बामाज़ेपाइन के संश्लेषण में एक प्रमुख मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीकॉन्वल्सेंट दवाओं में किया जाता है और कुछ अनुप्रयोग एंटीसाइकोटिक दवाओं में भी पाया जाता है।

- ग) 10-एमआईएसबी को आईएसबीसीसी से संश्लेषित किया जाता है और यह ऑक्ज़कार्बाज़ेपाइन के उत्पादन में एक मध्यवर्ती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीकॉन्वलसेंट दवाओं में किया जाता है और कुछ अनुप्रयोग एंटीसाइकोटिक दवाओं में भी पाए जाते हैं।
7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 29 के तहत जैविक रसायनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है और इसे 2921 30 90, 2922 19 90, 2931 90 90, 2933 19 20, 2933 99 10, 2933 99 90, 2934 99 90 के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
8. विचाराधीन उत्पाद भारत से बेचा जाता है और इसीलिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) में मानी जाती है।
9. आवेदक ने आईडीबी, 10 एमआईएसबी और आईएसबीसीसी को अलग-अलग पीसीएन के रूप में मानने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित पीसीएन इस प्रकार हैं:
- क) सीएस संख्या: 494-19-9 जिसे आईडीबी/इमिनोडिबेन्ज़िल (10,11-डाइहाइड्रो-5एच-डिबेंज़[बी,एफ]एज़ेपाइन) के रूप में भी जाना जाता है।
- ख) सीएस संख्या: 33948-22-0 जिसे आईएसबीसीसी/इमिनोस्टिलबीन कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है
- ग) सीएस संख्या: 4698-11-7 जिसे 10-एमआईएसबी (10 मेथॉक्सीइमिनोस्टिलबीन) के रूप में भी जाना जाता है
10. संबद्ध जांच में सभी हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में तथा पीसीएन, यदि कोई है, के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों के लिए संगत साक्ष्य के साथ अपनी टिप्पणियां सिद्ध करने की अपेक्षा है।
- ख. समान वस्तु**
11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों के उपभोक्ता आयातित संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद की 'समान वस्तु' माना गया है।
- ग. घरेलू उद्योग और आधार**
12. यह आवेदन-पत्र मैसर्स एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, आवेदक भारत में आईडीबी का एकमात्र घरेलू उत्पादक है। जबकि आईएसबीसीसी और 10-एमआईएसबी अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित हैं, यह दावा किया गया है कि इनमें से अधिकांश उत्पादक अपने कच्चे माल यानी आईडीबी को आवेदक से या आयात के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और इसलिए उन्हें कुल भारतीय उत्पादन में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि आईएसबीसीसी और 10-एमआईएसबी के अन्य उत्पादक केवल कैप्टिव उद्देश्यों के लिए उत्पादन कर रहे हैं और इस प्रकार व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।
13. आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जिसमें आईडीबी अगस्त 2022 में शुरू हुआ, आईएसबीसीसी नवंबर 2022 में शुरू हुआ, और 10 एमआईएसबी फरवरी 2023 में शुरू हुआ।

14. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है, और न ही उन्होंने संबद्ध सामानों का आयात किया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से भीतर पात्र 'घरेलू उद्योग' है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

**ड. जांच की अवधि**

16. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 (12 माह) का प्रस्ताव रखा था। प्राधिकारी ने जांच के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि में 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**च. कथित पाटन का आधार**

**क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

17. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (3) के संदर्भ में संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की सूचना बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।
18. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चूंकि भारत और चीन संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक देश हैं, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में कीमत के आधार पर नहीं की जा सकती है। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत, एसजीए व्यय के अतिरिक्त और उचित लाभ के आधार पर भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
19. जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, भारत में एसजीए व्यय और लाभ के लिए उचित समायोजन के साथ भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।
20. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें और विधिवत प्रमाणित दावे करें।

**निर्यात कीमत**

21. आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है। आयात के लिए भारत में आयात के लिए सूचित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार मानी गई है। समुद्री माल भाड़ा, मालसूची वहन लागत, क्रेडिट लागत, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के निमित्त कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

**ग) पाटन मार्जिन**

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के

संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

#### छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य

23. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार गया है। पूरी क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की मात्रा काफी रही है। आवेदक द्वारा आधार वर्ष में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू करने के बाद 2023-24 में पंजीकृत संबद्ध आयात में कुछ गिरावट आई, हालांकि इसके बाद आयात में वृद्धि हुई। आवेदक ने दावा किया है कि आयात की पहुंच कीमत में उत्पादन लागत के तदनु रूप गिरावट के बिना भारी गिरावट दर्ज की गई है। संबद्ध आयात का घरेलू कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव पड़ा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका निष्पादन खराब हो गया है। आवेदक के पास औसत मालसूची में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया है कि आयात की कीमत में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग का निष्पादन तेजी से गिर गया।
24. आवेदक द्वारा दी गई सूचना से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के तीन रूप हैं और आवेदक ने तीनों रूपों का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए आवेदक ने आईडीबी, आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी की मात्रा को रैखिक आधार पर जोड़कर क्षति की सूचना प्रस्तुत की है और आईडीबी के समकक्षों के संदर्भ में मात्रा भी व्यक्त की है। यह दावा किया गया है कि क्षति की सूचना प्रस्तुत करने का बाद वाला विकल्प अधिक उपयुक्त है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार क्षति विश्लेषण की पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और जांच के दौरान इसकी आगे जांच की जाएगी।

#### ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का पाटन सिद्ध करने और उस पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

#### झ. प्रक्रिया

26. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

#### ञ. सूचना प्रस्तुत करना

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तदनु रूपी मामला आईडी एडी/ओई/015/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
28. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। ये सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित किए गए अनुसार स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित किए गए अनुसार, स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएं।
30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर इस जांच के संबंध में किसी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट [www.dgtr.gov](http://www.dgtr.gov) को नियमित रूप से देखते रहें।

#### ट. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना उनके पंजीकृत नाम और तदनुसारी मामला आईडी-एडी/ओआई/015/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
33. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच की शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
35. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

37. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
38. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।
41. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।
42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
43. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
44. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

#### ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

#### ढ. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2026

**(Case No. AD(OI) -14 /2026)**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Certain azepine intermediates, viz. ISBCC and 10 MISB and their precursor, IDB” originating in or exported from China PR.**

1. **F. No.6/15/2026-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), M/s Aether Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation on the imports of “Certain azepine intermediates, viz. ISBCC and 10MISB and their precursor, IDB” (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India from the subject country at dumped prices and are causing material injury to the domestic industry. The applicant has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject country. The applicant has also sought interim duties on imports of subject goods from subject country.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration in the present investigation is “Certain azepine intermediates, viz. ISBCC (Iminostilbene Carbonyl Chloride) and 10 MISB (10-Methoxyiminostilbene), and their precursor, IDB (Iminodibenzyl)”. The subject goods are chemical compounds that contain the common **azepine ring system** and are used in the synthesis of APIs.
4. The product under consideration conform to the following CAS nos.:
  - a) CAS no: 494-19-9 also known as IDB/Iminodibenzyl(10,11-Dihydro-5H-dibenz [b,f]azepine) having chemical formula C<sub>14</sub>H<sub>13</sub>N
  - b) CAS no: 33948-22-0 also known as ISBCC/ Iminostilbene carbonyl chloride having chemical formula C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>ClNO
  - c) CAS no: 4698-11-7 also known as 10-MISB (10-MethoxyIminostilbene) having chemical formula C<sub>15</sub>H<sub>13</sub>NO

5. The applicant has submitted that Azepine intermediates viz., ISBCC and 10 MISB, and their precursor IDB constitute one product. It is seen that ISBCC and 10 MISB can only be derived from processing to IDB. Processing IDB results in ISBCC. ISBCC upon being further processed results in the production of 10 MISB. The PUC comprises specialty chemical intermediates used in the synthesis of active pharmaceutical ingredients (APIs), particularly those used for anticonvulsant and antipsychotic medications. While IDB has some independent usage, the same is to the extent of less than 5% of the total consumption of IDB. IDB, ISBCC and 10 MISB serve common downstream therapeutic objectives. They have a common structural motif and differ only in specific functional groups introduced at defined positions, which facilitate their stepwise chemical conversion in a unified synthetic pathway. IDB, ISBCC and 10 MISB is based on the dibenzazepine ring system — a tricyclic structure with two benzene rings fused to a seven-membered azepine ring containing one nitrogen atom. Each step in their production chain involves functional group transformation without altering the dibenzazepine ring framework.
6. Subject goods are used as intermediates for making Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), particularly those for anticonvulsant and antipsychotic medications. The specific roles of the subject goods are as follows:
  - a) IDB is a precursor to ISBCC and 10-MISB. Its most prominent application is as an intermediate in the synthesis of carbamazepine and oxcarbazepine.
  - b) ISBCC is a direct downstream derivative of IDB and serves as a key intermediate in the synthesis of carbamazepine, used primarily in anticonvulsant medications and also find some application in antipsychotic medications.
  - c) 10-MISB is synthesized from ISBCC and is an intermediate in the production of oxcarbazepine, used for primarily in anticonvulsant medications and also find some application in antipsychotic medications.
7. The subject goods are classified under the category of organic chemicals under Chapter 29 of Schedule I to the Customs Tariff Act. The product does not have a dedicated customs classification and is being imported under 2921 30 90, 2922 19 90, 2931 90 90, 2933 19 20, 2933 99 10, 2933 99 90, 2934 99 90. The custom classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.
8. The product under consideration is sold by weight and therefore, the unit of measurement considered in metric ton (MT) or Kilogram (Kg).
9. The applicant has proposed considering IDB, 10 MISB and ISBCC as separate PCN. The PCN proposed are thus as follows:
  - a) CAS no: 494-19-9 also known as IDB/Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine)
  - b) CAS no: 33948-22-0 also known as ISBCC/ Iminostilbene carbonyl chloride
  - c) CAS no: 4698-11-7 also known as 10-MISB (10-MethoxyIminostilbene)

10. All interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for construction of PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation. The interested parties are required to substantiate their comments with relevant evidence.

## **B. LIKE ARTICLE**

11. The Applicant has submitted that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and product exported from the subject country. The product produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the imported subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as “like article” to the product being imported from the subject country.

## **C. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

12. The application has been filed by M/s Aether Industries Limited. As per the information on record, the applicant is the sole domestic producer of IDB in India. While ISBCC and 10-MISB are produced by other domestic producers, it has been claimed that most of these producers source their raw material i.e., IDB, from the applicant or through imports, and therefore do not separately need to be included in the total Indian production. The Applicant has submitted that the other producers of ISBCC and 10-MISB are producing only for captive purposes and thus do not compete in the merchant market.
13. The Applicant commenced commercial production of the subject goods in the financial year 2022–23, with IDB beginning in August 2022, ISBCC starting in November 2022, and 10 MISB commencing in February 2023.
14. Further, the applicant has submitted that it is not related to any exporter or producer in the subject country or any importers of the subject goods in India, nor has it imported the subject goods. On the basis of information available and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## **D. SUBJECT COUNTRY**

15. The subject country in the present investigation is China PR.

**E. PERIOD OF INVESTIGATION**

16. The applicant had proposed October 2024 to September 2025 (12 months) as the period of investigation (POI). The Authority has considered the period proposed by the applicant for the purpose of the investigation. The injury investigation period will cover the period 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 and the POI.

**F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING****a. Normal Value for China PR**

17. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR must be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
18. The applicant has submitted that since India and China are the only producing countries of the subject goods, the normal value could not be computed on the basis of the price in a market economy third country, constructed value in a market economy third country, or price from such a third country to other country, including India. The applicant has determined the normal value for China PR on the basis of price payable in India based on the cost of production in India, after addition of SGA expenses, and reasonable profit.
19. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on price paid or payable in India with reasonable adjustments for SGA expenses and profit in India.
20. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value.

**b. Export Price**

21. The Applicant has claimed export prices on the basis of market intelligence. The CIF price of the product under consideration as reported for imports into India, as per DG System data has been considered by the Authority for the purposes of the initiation. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, inventory carrying cost, credit cost, marine insurance, inland freight expenses, port expenses, and bank charges.

**c. Dumping Margin**

22. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level. It is *prima facie* seen that the dumping margin is above the de minimis level and significant in

respect of the product under consideration exported from the subject country. This, is *prima facie* establishes that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

#### **G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK**

23. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country. The volume of the subject goods from the subject country has been significant throughout the injury period. Subject imports registered some decline in 23-24 after the applicant started producing subject goods in the base year, however, imports increased thereafter. The applicant has claimed that landed price of imports has registered a steep decline without a corresponding decline in cost of production. Subject imports have had a depressing effect on domestic prices. The applicant has also claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, their performance has deteriorated in respect of cash profit, profits and return on investment etc. The average inventory with the applicant has substantially increased over injury period. It has been claimed that despite being a new producer, the domestic industry was able to make profits in its first year of operation, however, the performance declined steeply with decline in imports price.
24. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries. Since there are three forms of the PUC, and the applicant has produced and sold all the three forms, , the applicant has presented injury information by adding volumes of IDB, ISBCC and 10 MISB on a linear basis and also expressed volumes in terms of equivalents of IDB. It has claimed that the latter alternative of presenting injury information is more appropriate. However, the interested parties may offer their comments on methodology for injury analysis and the same shall further be examined during the course of the investigation.

#### **H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

25. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the Domestic Industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the Domestic Industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the Domestic Industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **I. PROCEDURE**

26. Principles, as given in Rule 6 of the AD Rules, will be followed for the present investigation.

**J. SUBMISSION OF INFORMATION**

27. All the interested parties are required to register themselves on SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding Case ID- AD (OI) (14/2026). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
28. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
29. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion /meeting schedule, notice of oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

**K. TIME LIMIT**

31. Any information relating to the present investigation must be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) by the interested parties under their registered name and corresponding Case ID- AD (OI) (14/2026). Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules, 1995.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
33. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification.
34. Extension due to modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and prescription of PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the AD Rules.
35. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

36. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
37. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
38. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
39. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

40. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
41. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
44. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

45. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

#### **N. NON-COOPERATION**

46. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority